भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1395

(07 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महाराष्ट्र में डीडीयू-जीकेवाई

1395. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना क्रियान्वित की जा रही है और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत परभणी और रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित ठाणे, जलगांव, कोल्हापुर, सांगली, अहमदनगर, नन्दुरबार, उस्मानाबाद, मराठवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों और विदर्भ जिले के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत युवाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल रही है तथा उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं;

(घ) ऐसे युवाओं की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया और इनमें से ऐसे युवाओं की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार प्राप्त हुआ, का ब्यौरा क्या है;

(ड.) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत किस पद्धति से प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(च) क्या उक्त युवाओं के लिए कोई विशेष शिक्षा परियोजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (घ): सरकार सितम्बर, 2014 से दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जो 15-35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। डीडीयू-जीकेवाई के दिशानिर्देशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% तथा अल्पसंख्यकों के लिए 15% निधियों के निर्धारण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत संबंधित श्रेणियों में एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए।

डीडीयू-जीकेवाई में कार्यान्वयन के लिए 3 स्तरों वाली कार्यान्वयन संरचना का अनुपालन किया जाता है। नीति निर्धारण, केंद्रीय अंश का वित्तपोषण और तकनीकी सहायता राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी है जबकि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)/राज्य कौशल मिशन राज्य अंश के वित्तपोषण, कार्यान्वयन और निगरानी नियंत्रणों के लिए जिम्मेदार हैं। लाभार्थियों को एकजुट करना, प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका नियोजन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) की जिम्मेदारी है, जो अधिकांशतः निजी प्रशिक्षण साझेदार हैं। महाराष्ट्र सहित देश का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) इस योजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है जिसमें ठाणे, जलगाँव, कोल्हापुर, सांगली, अहमदनगर, नंदूरबार, उस्मानाबाद, मराठवाड़ा, जिसमें परभणी और रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विदर्भ क्षेत्र के जिले शामिल हैं। जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) महाराष्ट्र में डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत कुल 44,938 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और अब तक उनमें से 33,026 लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

(ङ) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति द्वारा अनुमोदित अर्हता पैक के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में प्रदान किया जाने वाला व्यावसायिक कौशलों का सैद्धांतिक, व्यावहारिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षुओं को कामकाजी परिवेश के अनुसार बेहतर तरीके से ढलने के लिए उन्हें कम्प्यूटर कौशलों, अंग्रेजी कौशलों और जीवन कौशलों के प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं।

(च) जी, नहीं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के भाग (क और घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अक्तूबर, 2021 तक डीडीयू-जीकेवाई की प्रगति			
क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आँध्र प्रदेश	84,434	73,730
2	अरुणाचल प्रदेश	112	33
3	असम	53,527	33,123
4	बिहार	54,395	29,105
5	छत्तीसगढ़	39,562	18,528
6	गुजरात	20,240	12,698
7	हरियाणा	31,151	26,710
8	हिमाचल प्रदेश	5,175	1,617
9	जम्मू और कश्मीर	60,588	39,321
10	झारखंड	45,901	21,117
11	कर्नाटक	45,568	29,214
12	केरल	56,964	33,919
13	मध्य प्रदेश	51,162	22,083
14	महाराष्ट्र	44,938	33,026
15	मणिपुर	2,809	1,049
16	मेघालय	2,599	1,189
17	मिजोरम	761	461
18	नागालैंड	1,830	899
19	ओडिशा	1,84,751	1,54,920
20	पंजाब	14,277	6,113
21	राजस्थान	58,778	29,933
22	सिक्किम	830	414
23	तमिलनाडु	35,698	46,179

24	तेलंगाना	56,410	46,401
25	त्रिपुरा	6,400	4,158
26	उत्तराखंड	3,246	1,457
27	उत्तर प्रदेश	1,27,347	28,734
28	पश्चिम बंगाल	25,712	16,894
29	पुदुच्चेरी	0	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
कुल		**11,15,165**	**7,13,025**

अनुबंध II

लोक सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जिला	प्रारंभ	प्रशिक्षित	नियोजित
अहमदनगर	1827	1531	940
जलगाँव	1638	1279	627
कोल्हापुर	700	598	297
नंदूरबार	2385	1957	969
सांगली	378	317	131
ठाणे	786	644	317
महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र			
औरंगाबाद	1695	1293	806
बीड	1558	1176	473
हिंगोली	979	902	553
जालना	2249	1814	906
लातूर	949	698	365
नांदेड़	1477	1096	819
उस्मानाबाद	1294	1089	468
परभणी	1138	766	413
महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र			
अकोला	1103	836	493
अमरावती	4383	3497	2200
भंडारा	2350	2107	1197
बुलढाणा	1329	1186	812
चंद्रपुर	2642	2264	1265
गढ़चिरौली	3113	2802	1850
गोंदिया	2836	2311	1203
नागपुर	2569	2063	1405
वर्धा	2254	1911	1076
वाशिम	1085	903	606
यवतमाल	2778	2325	1460

* 31 अक्तूबर, 2021 तक अद्यतन स्थिति